as well as imports of inputs and raw materials.

3. Lower import duties on capital goods and raw materials required for floriculture.

4. Floriculture units can be set up under the EOU Scheme without the requirement of customs bonding.

5. Formulation of financial assistance schemes by the Agricultural and processed Food Products Export Development Authority (APEDA) for purchase of refer'vans, setting up facilities for pre-cooling and cold storage, packaging development, market survey, consultancy and data base creation/upgradation. The National Horticulture Board (NHB) also provide assistance in the form of soft loans.

6. Setting up of Walk-in-type cold storages at the Delhi, Mumdai and Bangalore airports.

7. Launching of UNDP aided project aimed at enhancing production and export of flowers.

Import of Deal with Malaysia for Palm Oil

*173. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have entered into a deal for the import of palm oil from Malaysia;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Ministry of Agriculture has raised some objections on this deal; and

(d) if so, what are the reasons for such objections and the reaction of the Ministry of Commerce in this regard ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (d) In response to the proposal of the Malaysian authorities, Agreed Minutes were signed between India and Malaysia on 14-8-1992 outlining Government of India's willingness to purchase a minimum of 3 lakh tonnes of palm oil a year for two years through their palm oil purchasing organisations following their own procedures. In consideration of this, Government of Malaysia were to award project contracts to Indian compaines to use the Evidence Account mechanism for providing necessary fillip to the arrangement. However, no import of Malaysain palm oil was effected under this arrangement.

Proposal to study Anti-Tobacco Legislation

*174. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for increasing co-ordination between the Tobacco Board and other Ministries to study the economic consequences of anti-tobacco legislation;

(b) if so, the details of the proposed coordination; and

(c) whether exporters, industries and farmers will be associated with the future role of the Tobacco Board ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b) Even though the Tobacco Board is under the administrative Control of the Ministry of Commerce, it interacts directly with other Ministries and Departments of the Government of India. The Tobacco Board's Resolution on the proposed legislation is available with the Ministry of Health.

(c) The existing provisions of the Tobacco Board Act, 1975, provide for due representation on the Board of tobacco growers, dealers, exporters and manufacturers.

कॉफी उत्पादकों की संयुक्त कार्रवाई समिति से प्राप्त ज्ञापन

*175. **श्री अनन्तराम जायसवाल :**

श्री सत्यप्रकाश मालवीय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कॉफी उत्पादक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने कॉफी के घरेलू मूल्यों में स्थिरता की मांग सहित अन्य मागों के सबंध में हाल ही में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हा, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इसमे वर्णित मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कॉफी उत्पादक सगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति का दिनांक 23-11-1994 का ज्ञापन अभी हाल ही मे प्राप्त हुआ है।

(ख) इस ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कॉफी की अधिक स्वदेशी कीमत को नियंत्रित रखने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जाए :—

(1) खुले सामान्य लाइसेस के तहत कॉफी के मुक्त आयात की अनुमति दी जाए ,

(2) कॉफी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत सरकार को चाहिए कि वह स्वदेशी बाजार में कॉफी की थोक तथा खुदरा दोनों ही कीमतों का निर्धारण करे ; और

(3) कॉफी बोर्ड को इस बात के निर्देश दे कि वह कॉफी की कुछ निश्चित मात्रा खरीदकर अपनी दुकानों की मार्फत उपलब्ध कराए । इन सुझावों की जांच गुणावगुण आधार पर की जाएगी ।

विदेशी व्यापार संतुलन

* 176. **श्री राघवजी :**

श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए विदेशी व्यापार संतुलन के क्या अनुमान है ;

(ख) विदेशी व्यापार के कब तक भारत के पक्ष में होने की संभावना है ; और

(ग) सरकार इस संबंध मे क्या कदम उठाने जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1994 की अवधि (वह अवधि जिसके लिए व्यापार-आंकड़े उपलब्ध है) के दौरान भारत का व्यापार सन्तुलन घटा, 1394.90 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा क्योंकि निर्यात की तुलना में आयात अधिक हुआ । इस वर्ष के अन्त तक 2000—2500 मिलियन अमरीकी डालर का नकारात्मक व्यापार सन्तुलन हो सकता है ।

(ख) निर्यात तथा आयात भिन्न-भिन्न कारणो द्वारा शासित होते है और भारत का वार्षिक आयात आमतौर पर निर्यात की तुलना में अधिक होता है । इसमे 1972-73 और 1976-77 के वर्ष अपवाद-स्वरूप है जब आयात की तुलना मे निर्यात अधिक हुआ था योजना लक्ष्यों के अनुसार, व्यापार सन्तुलन मे घाटे को सतत रूप से कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे है ।

(ग) आयात इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि उनसे स्वदेशी खपत और निर्यात उत्पादन के लिए अभिप्रेत माल के उत्पादन हेतु आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों की जरुरतें पूरी करनी होती हैं । निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापार के उदारीकरण हेतु बड़-बड़े उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :– आयात से बड़े निर्यात में लोचशीलता, आयात लाइसेंसिग मे कमी करना, नीति एवं कार्यविधियों का सरलीकरण करके कार्यविधि संबंधी बाधाओ को समाप्त करना, और निर्यात की निषेधात्मक सूची में काट-छांट करना । निर्यात संवर्धन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह सरकार और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रो के बीच सहयोग के प्रयास से किया जाता है । निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रो के परामर्श से सभी सभव उपाय किए जाते है । निर्यात संवर्धन में राज्यो को भी ईपीआईपी जैसी योजनाओं के जरिए अधिकाधिक रूप से शामिल किया जा रहा है ।

कोयले के भंडार की खोज

*177. **श्री अजीत जोगी :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान क्षेत्रीय और व्यापक स्तर पर कोयले के भंडारो का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासो का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यापक स्तर पर खनन करके कोयला खनन परियोजनाए शुरु करने के संबंध मे कोई व्यावहारिक अध्ययन किया गया है या कोई परियोजना रिपोर्ट तयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, बिलासपुर की भी पेन्ड्रा के पास बीजाडाड मे नई खदान खोलने की योजना है, यदि हा, तो उस पर कार्य कब आरंभ होगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1-1-1991 से 1-1-1994 की 3 वर्ष की अवधि के दौरान विस्थापित/मूल्याकित किए गए कोयले के अतिरिक्त भण्डारों का श्रेणीवार ब्यौरा, जोकि देश के विभिन्न अभिकरणो द्वारा किए गए क्षेत्रीय तथा विस्तृत अन्वेषणों पर आधारित हैं, नीचे दिया गया है :—

अतिरिक्त भंडार	मिलियन टन में	
प्रमाणित	(+) 9063.85	(विस्तृत ड्रिलिंग)
विनिर्दिष्ट	(+) 2056.97	(क्षेत्रीय ड्रिलिंग)
अनुमानित	(—) 6588.10	(विनिर्दिष्ट तथा प्रमाणित श्रेणियो में स्थानांतरित किए जाने के कारण)
निवल वृद्धि	4532.72	